

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सातचन्द पुत्र हस्तवाराग बनाम धनपत उर्फ धनाराम पुत्र वारीराम

जाटि जाट नि० नेणना जाट नि० नेणना

दावा बाबत :- 53 RTI Act

मुकदमा नम्बर :- 4-3/20/7


निर्णय दिनांक :- 16.12.21

वादी की ओर से वकील किरन्द वनीवाल की व प्रतिवादी सं० ..... की ओर से वकील मुन्शीराम गो स्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

भुगतिक राजीनामा वाद-वादी जी ही जिम्मा जारा है एसा राजीनामा वाद, व एगदर नम्बरा डॉ जी ही का भाग पठा जागा है। व हमी अनुसार राजस्व रिहाई में एवाता व सगान अत्तप आपन डर राजस्व रिहाई डुकर डिप जावे। एसा इति भूमि बँड एहन है तो एहन मुल होने पर राजस्व रिहाई डुकर डिप जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुंतला चौधरी)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़